

मॉडल आवेदन पत्र
पशुपालन निदेशालय, बिहार, पटना

वित्तीय वर्ष 2020-2021 में "समेकित बकरी एवं भेड़ विकास योजना" के तहत निजी क्षेत्रों में **Goat Farm** (20 बकरी+1 बकरा, 40 बकरी+2 बकरा की क्षमता) की स्थापना पर अनुदान की योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु

आवेदन पत्र

(आवेदक द्वारा सभी वांछित अनुलग्नकों के साथ ऑनलाईन समर्पित किया जायेगा।)

1. आवेदक का नाम :-
2. पिता का नाम :-
3. जन्म तिथि :-
4. उम्र :-(पूर्ण वर्षों में)
5. शैक्षणिक योग्यता :-
6. पेशा :-
7. कोटि (सामान्य/अनुसूचित जाति) :-

आवेदक का पासपोर्ट
साईज का
स्व-अभिप्रमाणित
फोटोग्राफ।

(अनुसूचित जाति के लिये प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है)

8. स्थायी पता :-
ग्राम - पो0-
- थाना - प्रखंड -
- पिन कोड - जिला -
9. दूरभाष/मोबाईल नं0:-
10. बकरीपालन में प्राप्त प्रशिक्षण
-(साक्ष्य-फोटोग्राफ सहित संलग्न करना अनिवार्य है)

11. भूमि का ब्यौरा (जिसका उपयोग बकरी फार्म की स्थापना के लिए किया जाना है)

- | | |
|---|------------------------------------|
| (क) खाता :- | (ख) खेसरा :- |
| (ग) रकबा (एकड़ में) :- | (घ) जिला मुख्यालय से दूरी :- |
| (ड0) मौजा :- | (च) ग्राम :- |
| (छ) परगना :- | (ज) थाना :- |
| (झ) थाना नं0 :- | (ञ) प्रखंड/अंचल :- |
| (ट) जिला :- | |
| (ठ) भूमि आवेदक के नाम से है या लीज (पट्टा) पर ली गई है :- | |

(भूमि स्वामित्व प्रमाण-पत्र/ लीज एकरारनामा की छाया प्रति संलग्न करें)

12. बकरी फार्म हेतु प्रस्तावित प्रोजेक्ट का विवरण

- (क) प्रस्तावित प्रोजेक्ट की राशि :-
- (प्रोजेक्ट रिपोर्ट संलग्न करें/ संलग्न नहीं करने की स्थिति में विभाग द्वारा तैयार किया गया "मॉडल प्रोजेक्ट रिपोर्ट" ही मान्य होगा)

- (ख) अनुदान की राशि :-
- (ग) अनुदान के अतिरिक्त राशि की व्यवस्था (स्वलागत अथवा बैंक ऋण से)
- (घ) यदि स्वलागत से हो तो राशि की उपलब्धता संबंधी साक्ष्य :-
- (ड0) यदि बैंक से ऋण प्राप्त करना चाहते हैं/ऋण स्वीकृत हो चुका है तो बैंक का नाम, पता एवं ऋण स्वीकृति का साक्ष्य:-
- (च) विशेष यदि कोई हो (निबंधन संख्या इत्यादि) :-

13. अनुदान प्राप्ति हेतु बैंक खाता एवं अन्य का विवरण :-

- (क) बैंक का नाम :-
- (ख) शाखा :-
- (ग) खाता संख्या :-
- (घ) आई0एफ0एस0सी0 कोड :-
- (ड0) पैन कार्ड संख्या :-

(बैंक ऋण की स्थिति में उपर्युक्त विवरणी ऋण स्वीकृति के पश्चात् ऋण खाता के संदर्भ में अलग से समर्पित की जाएगी)।

14. अनुलग्नक :-

- (क) आवेदक का फोटोग्राफ
- (ख) पहचान पत्र की छाया प्रति
- (ग) आवास का प्रमाण पत्र
- (घ) जाति प्रमाण पत्र (अनुसूचित जाति के लिये प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है)
- (ड0) आधार कार्ड (यदि उपलब्ध हो) की छाया प्रति
- (च) बैंक खाता पास बुक की छाया प्रति
- (छ) पैन कार्ड की छाया प्रति
- (ज) भूमि स्वामित्व प्रमाण-पत्र/ लीज एकरारनामा की छाया प्रति/अद्यतन लगान रसीद
- (झ) भूमि के नजरी नक्शा की प्रति
- (ञ) स्वलागत से बकरी फार्म स्थापना के लिये राशि की उपलब्धता संबंधी साक्ष्य
- (ट) बकरीपालन का अनुभव/प्रशिक्षण संबंधी साक्ष्य
- (ठ) प्रोजेक्ट रिपोर्ट
- (ड) आय प्रमाण-पत्र की छायाप्रति

प्रमाणित किया जाता है कि मेरे द्वारा दी गई उपर्युक्त सभी सूचनाएँ सही हैं। मेरे अथवा मेरे परिवार के किसी सदस्य (माता/पिता/पत्नी/पति/पुत्र/अविवाहित पुत्री/पुत्रवधु) द्वारा पूर्व में विभाग की तरफ से बकरी फार्म की स्थापना हेतु कोई अनुदान प्राप्त नहीं किया गया है।

पशुपालन निदेशालय, बिहार द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-2021 में "समेकित बकरी एवं भेड़ विकास योजना" के तहत निजी क्षेत्रों में Goat Farm (20 बकरी+1 बकरा, 40 बकरी+2 बकरा की क्षमता) की स्थापना पर अनुदान की योजना" के लिए निर्धारित सभी शर्तों का मेरे द्वारा पूर्ण रूप से अनुपालन किया जाएगा।

तिथि

स्थान

आवेदक का हस्ताक्षर

नाम -